बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक– ह0क0सह0–(यो0/राज्य संघ/पुल फंड)–20/2017 .... पटना, दिनांक– ....

प्रेषक,

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, पटना।

द्वारा– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय– **बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना के द्वारा विभिन्न जिला के सरकारी अस्पतालों को आपूर्ति की जा रही सतरंगी चादर की राशि के भुगतान में हो रहे विलम्ब के समाधान हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में पुल फंड/बफर फंड के रूप में स्वीकृत रूपये 200.00 लाख (दो सौ लाख) में से प्रथम किस्त के रूप में रूपये 50.00 लाख (पचास लाख) की विमुक्ति के क्रम में तृतीय अनुपूरक आगणन से द्वितीय किस्त के रूप में प्राप्त शेष राशि रूपये 150.00 लाख (एक सौ पचास लाख) की विमुक्ति के संबंध में।**

आदेश– स्वीकृत।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना के द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों के सरकारी अस्पतालों को आपूति की जा रही सतरंगी चादर की राशि का भुगतान में हो रहे विलम्ब के समाधान हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना (राज्य संघ) को पुल फंड/बफर फंड के रूप में देने हेतु राज्यादेश संख्या 4785 दिनांक 14.11.2017 द्वारा रू0 200.00 लाख (दो सौ लाख) की स्वीकृति प्रदान करते हुए यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रथम किस्त के रूप में रू0 50.00 लाख (पचास लाख) की विमुक्ति प्रदान की गई है। शेष राशि 150.00 लाख (एक सौ पचास लाख) पुनर्विनियोग/अनुपूरक के माध्यम से बजट उपलब्ध होने पर द्वितीय किस्त के रूप में राज्य संघ को उपलब्ध कराया जाना है।

2. वार्षिक स्कीम 2017–18 के अन्तर्गत राज्यादेश संख्या 4785 दिनांक 14.11.2017 के आलोक में तृतीय अनुपूरक आगणन से बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना को देने हेतु पुल फंड/बफर फंड के रूप में, द्वितीय किस्त के रूप में शेष राशि रू0 150.00 लाख (एक सौ पचास लाख) की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. स्वीकृत द्वितीय किस्त की राशि 150.00 लाख (एक सौ पचास लाख) रूपये का व्यय बजट शीर्ष, मुख्य शीर्ष 2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 103–हथकरघा उद्योग, माँग संख्या– 23, उप शीर्ष 0103 हस्तकरघा विकास की योजना, विपत्र कोड 23–2851001030103 विषय शीर्ष 0103.33.01 सब्सिडी मद तृतीय अनुपूरक आगणन से विकलित होगा।

4. इस योजना में स्वीकृत द्वितीय किस्त की राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक निबंधक बुनकर सहयोग समितियाँ, गुलजारबाग, पटना होंगे जो पटना सिटी कोषागार से एकमुश्त राशि की निकासी विपत्र BTC-26 पर करते हुए प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान करेंगे।

5. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या– ह0क0सह0–(यो0/राज्य संघ/पुल फंड)–20/2017 के पृष्ठ 47/टि0 पर दिनांक 13.03.2018 को प्राप्त है।

6. यह राज्यादेश संचिका संख्या– ह0क0सह0–(यो0/राज्य संघ/पुल फंड)–20/2017 के पृष्ठ 50/टि0 पर दिनांक 16.03.2018 को प्राप्त आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

7. प्रस्ताव में माननीय मंत्री, उद्योग का अनुमोदन प्राप्त है।

8. वित्त विभागीय पत्रांक 7355/वि0 (2), दिनांक 05.10.2007 के आलोक में प्रधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. स्वीकृत राशि के क्रियान्वयन के विषय पर राज्यादेश सं0 4785 दिनांक 14.11.2017 में वर्णित शर्ते एवं बंधेज यथावत् रहेगी।

विश्वासभाजन,
ह0/–
सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– ह0क0सह0–(यो0/राज्य संघ/पुल फंड)–20/2017 .... पटना, दिनांक– ....
प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, पटना सिटी कोषागार, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– ह0क0सह0–(यो0/राज्य संघ/पुल फंड)–20/2017 .... पटना, दिनांक– ....
प्रतिलिपि– सहायक निबंधक, बुनकर सहयोग समितियाँ, गुलजारबाग, पटना/वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– ह0क0सह0–(यो0/राज्य संघ/पुल फंड)–20/2017 .... पटना, दिनांक– ....
प्रतिलिपि– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, भागलपुर/बिहारशरीफ/मधुबनी एवं सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– ह0क0सह0–(यो0/राज्य संघ/पुल फंड)–20/2017 .... पटना, दिनांक– ....
प्रतिलिपि– उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना/योजना शाखा, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को पाँच प्रतियों में/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/बजट पदाधिकारी, प्रशाखा–1 (स0), उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– ह0क0सह0–(यो0/राज्य संघ/पुल फंड)–20/2017 .... पटना, दिनांक– ....
प्रतिलिपि– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– ह0क0सह0–(यो0/राज्य संघ/पुल फंड)–20/2017 1136 पटना, दिनांक– 16.03.18
प्रतिलिपि– आई टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

16-3-18

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

(4)

D:\CO-OPERATIVE\Brajendra Sir\Sanlekh- 29